संख्या-26/2018/140/78-1-2018-25/2012

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवामें,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
4 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
5 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
6 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा, जौनपुर।
8 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा, भदोही।
9 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा, लखनऊ।
10 आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर
11 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर।
12 आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
13 उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
14 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आई0टी0एवंइलेक्ट्रानिक्सअनु0-1 लखनऊःदिनांकः 31 जनवरी, 2018

विषयः ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017'' के 'शब्दावली' अध्याय के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्टार्ट-अप्स आदि की परिभाषा के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017'' जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016'' को अवक्रमित करती है।

2 उपरोक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्टार्ट-अप्स आदि की परिभाषा में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से निम्नवत् शब्दावली अँगीकृत की जाती है:-

1. ''सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर एवॅ सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयां/ कम्पनियां इत्यादि। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से आशय है बी0पी0ओ0/ के0पी0ओ0/ परामर्श/ 'एनीमेशन (animation)कृत्रिम बुद्विमता (Artificial Intelligence) 'गेमिंग (gaming)' तथा ज्ञान-आधारित अन्य औद्योगिक इकाइयां (knowledge industry Units)।
2. साफ्टवेयर सेवाओं में निहित है:-

- एप्लीकेशन साफ्टवेयर (Application Software)।
- प्रचालन विधि - Operating System ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- 'मिडिलवेयर' / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)।
- उक्त साफ्टवेयर में किसी अवयव (component) स्तरीय विकास।
- इन साफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- प्रणाली एकीकरण कार्य (System Integration work)/साफ्टवेयर हेतु अवयव (component)।
- साफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवँ SCMकार्य ।
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य साफ्टवेयर के बाहर के माड्यूल्स)

3. 'सूचना प्रौद्योगिकी' - इनका आशय उस सेवा से है जो सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में मिलती हैं और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान हो जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित हैः-

- एप्लीकेशनसाफ्टवेयर।
- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर।
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर।
- ई-कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट।
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरफेस (EDI) सेवायें।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग।
- वी-सैट - आई.एस.डी.एन सेवायें।
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप।

4. सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक-आफिस आपरेशन्स - लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बायो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल-सेन्टर आदि। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहींः-

- बिजनेसप्रोसेस प्रबन्धन (Business Process Management)।
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क।
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन।
- बैक आफिस प्रोसेसिंग।
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम से प्रदत्त सेवायें)।
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया - इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट मेथड द्वारा)।
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)।
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)।
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)।
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)।
- एनीमेशन - (रिमोट द्वारा)।
- गेमिंग ।
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)।
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः-
  - सूचनाप्रौद्योगिकीसेक्टर।
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि।
  - सी0आर0एम0 - ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0 - (Marekting Resources Management)।
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)।
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटाप्रोसेसिंग।
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन।
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज।
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स।
- काल सेन्टर्स।
  - वायस - इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड - दोनों।
  - डेटा - इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड - दोनों।
- साफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट।
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)

5. <u>नगरों का वर्गीकरण (Classification):-</u>

सोपान -1 (Tier I) नोएडा, ग्रेटर नोएडा।

सोपान -2 (Tier II): यथा लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर विशेषतया यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र सहित।

सोपान -3 (Tier III) 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर

6. एम.एस.एम.ई. (MSME) ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयां जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र कम्पनियों की प्रकृति ऐसी है कि इसमें अन्य क्षेत्रों की तुलना में निवेश कम होता है। अतः भारत सरकार की एम.एस.एम.ई. परिभाषा से इसमें परिवर्तन है, जिससे कि कम्पनी का स्तर उसके राजस्व से निर्धारित किया जा सके।

7. सरकारी अभिकरण (State Agencies)।
   - विकासप्राधिकरण (Development Agencies)।
   - आवास परिषद (Housing Boards)।
   - लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण LIDA (Lucknow Industrial Development Authority ।
   - उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC)।
   - सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) राज्य के अन्य अभिकरण

8. स्टार्ट-अप (Start-Up)

   स्टार्ट-अप्स को पारिभाषित करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (ई) दिनांक 23 मई 2017 में भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के नियमों एवं शर्तों को पूरा करने वाली संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगा। शर्तें निम्नवत् हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- संस्था (entity) उत्तरप्रदेशमेंपंजीकृतहो।
- स्टार्ट-अप्स को पारिभाषित करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (ई) दिनांक 23 मई 2017 में भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के नियमों एवं शर्तों को संस्था (entity) पूरा करती हो।

टिप्पणीः कोई अन्य शर्त, जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये।

9. इन्क्यूबेटर्स (Incubators): इन्क्यूबेटर्स (नवउद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र) स्टार्ट-अप्स को प्लग एण्ड प्ले सुविधायें, बैठक/सभाकक्ष/कार्यालय स्थान तथा साझा प्रशासनिक सेवायें, उच्च गति इन्टरनेट सुविधा इत्यादि प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इन्क्यूबेटर्स मेन्टर्स, प्रशिक्षण, वित्तपोषण, विधिक सेवायें, लेखा सेवायें, तकनीकी सहायता, उच्चतर शैक्षणिक संसाधन इत्यादि जैसी यथासम्भव सेवायें राज्य/केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्टार्ट-अप्स को उपलब्ध करायेंगे।
10. आईटी सिटी: आईटी सिटी हेतु 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग 60: 40 के अनुपात में प्रोसेसिंग तथा नान-प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रोसेसिंग क्षेत्र में केवल सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां जैसेकि सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियां, बी.पी.ओ., के.पी.ओ. इत्यादि होती है। नान-प्रोसेसिंग क्षेत्र आवासीय सुविधाओं, जनोपयोगी कार्यालयों/सुविधाओं/वाणिज्यिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षण तथा मुक्ताकाशी रूप में होता है।
11. आईटी पार्क: आईटी पार्क का निर्माण न्यूनतम लगभग 15000 वर्गमीटर फ्लोर सहित किया जाता है। इसमें जनोपयोगी कार्यालयों/सुविधाओं का होना आवश्यक नहीं है। आवंटन योग्य कुल क्षेत्र का 75 प्रतिशत क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए होता है। आईटी पार्क की अधिकाश सुविधायें जैसेकि आप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी, ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी, वाई-फाई सम्पर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग इत्यादि आईटी सिटी की भांति ही होती हैं। आईटी पार्क आईटी सिटी का ही लघु स्वरूप है, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए समर्पित होता है।

3- अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत शासन द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी आदि उद्योगों एवँ स्टार्ट-अप संस्थाओं को अनुमन्य समस्त सुविधायें नियमानुसार उपलब्ध होंगी।

4- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व आदेश संख्या -869/78-1-2016-25/2012 टी0सी0-2 दिनांक 14 जुलाई 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26/2018/140(1)/78-1-2018तददिनांक

उपर्युक्तकीप्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषित।

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
6 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
7 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
8 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9 अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश
10 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन
11 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन
12 प्रमुख सचिव, आवास एवं विकास विभाग को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ, सभी विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को अपने स्तर से भी परिचालित करने का कष्ट करें।
13 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन
14 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन
15 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
16 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
17 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
18 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन
19 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ

आज्ञासे

(हरी राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।